भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *20

21.07.2025 को उत्तर के लिए

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का प्रबंधन

***20. श्री जयन्त बसुमतारी :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षित क्षेत्र की बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) बना ली गई है और उसे अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षित क्षेत्र का अंतिम पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) तैयार कर लिया गया है और अधिसूचित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किन-किन क्षेत्रों/रेंजों को शामिल किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षित क्षेत्र के जोनल मास्टर प्लान का उपयोग किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

'काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का प्रबंधन' के संबंध में दिनांक 21.07.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *20 के भाग (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ) राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, काजीरंगा बाघ संरक्षण की बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) बना ली गई है और इसे प्रस्तुत कर दिया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ सरंक्षण के आसपास पारि-संवेदी क्षेत्र तैयार करने/इसे अंतिम रूप देने के संबंध में मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

*****